आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Directorate of Horticulture, Agriculture Department, Government of Bihar

Chai Vikas Yojana

बिहार सरकार की योजना, जिसका मकसद उत्तर-पूर्व बिहार के पांच चाय जिलों में चाय का रकबा बढ़ाना और पुराने चाय बागानों को लीफ कलेक्शन शेड में मदद देना है।

क्या मिल सकता है

नई चाय रोपाई पर अनुदान दो किस्तों में मिलता है: पहले 75% और बाकी 25% वर्ष 2027-28 में, अगर कम से कम 90% पौधे जीवित रहें। पुराने चाय बागान के लिए लीफ कलेक्शन शेड पर असल लागत का 50%, अधिकतम 37,500 रुपये अनुदान मिलता है।

किसके लिए है

बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णियाँ और कटिहार जिलों के चाय किसान।

मुख्य शर्तें

- 2026-27 में नया चाय क्षेत्र केवल किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णियाँ और कटिहार में बढ़ाया जाएगा।
- चाय के पौधे आपको खुद खरीदने होंगे।
- दूसरी किस्त (25%) 2027-28 में तभी मिलेगी जब पिछले साल लगाए 90% पौधे जीवित हों।
- नए चाय क्षेत्र का लाभ लेने वाले इस योजना के दूसरे बागवानी अवयव नहीं ले सकते।
- लीफ कलेक्शन शेड केवल उन किसानों के लिए है जो कम से कम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) में चाय उगाते हैं।

आवेदन कैसे करें

1. उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर चाय विकास योजना का फॉर्म खोलें और मुख्य बातें पढ़ें।
2. शर्तों से सहमति वाले बॉक्स पर टिक करें और ऑनलाइन फॉर्म पर आगे बढ़ें।
3. अपनी जानकारी भरें, नया चाय क्षेत्र या लीफ कलेक्शन शेड चुनें और फॉर्म जमा करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://horticulture.bihar.gov.in/HortMIS/ChaiVikasYojana/OnlineApp.aspx
आधिकारिक आवेदन: https://horticulture.bihar.gov.in/HortMIS/ChaiVikasYojana/OnlineApp.aspx
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/bihar/br-chai-vikas/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।